

प्रो-फार्मा ४

(नविष्य निवाह निधि से अंतिम निष्कासन (Final Withdrawal) की स्वीकृत प्रदान करने के आदेश का प्रारूप)

कार्यालय झाप

जनपद एवं क्षेत्र न्यायाधीश

1. एतद्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यानन्द उपाध्याय, अग्र को उनके सामान्य भविष्य निधि खाता संख्या एल०जे०यू० 22462 से आवृत्त फंड का प्रयोजन के व्यय वहेज करने हेतु 5,00,000/- रुपये (शब्दों में) पाँच लाख का अंतिम निष्कासन सम्मत्त भविष्य निधि (उ०प्र०) नियमावली, १९८५ के नियम संख्या 16(1)(4) सहायता 17(1)(a) के अनुसार स्वीकार किया जाता है।

2. अंतिम निष्कासन की धनराशि श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यानन्द उपाध्याय के ~~जमा~~ अर्थात् अक्षय निधि में जमा अवशेष के आधे/तीन चौथाई भाग से अधिक नहीं होगी। मूल नियमावली (फण्डामेंटल रूल) में यथापरिभाषित उनका मूल वेतन 60,310/- रु० है।

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यानन्द उपाध्याय ने दिनांक 05.08.2014 को अपनी सरकारी सेवा को पन्द्रह/अठारह वर्ष पूरे कर लिये हैं, १० वर्ष में अधिवार्षिकी पर सेवा निवृत्त होंगे/होंगी।

4. दिनांक 27.07.2020 को उपलब्ध कराये गये अभिलेख की स्थिति के अनुसार श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यानन्द उपाध्याय के खाते में जमा अवशेष राशि का ब्योरा निम्न प्रकार है।

- (१) वर्ष 2019-20 की लेखा-पर्ची/सामान्य भविष्य निधि पास बुक की चिह्निका के अनुसार जमा अवशेष की धनराशि रु० 25,72,150/-
- (२) माह अप्रै, 20 से माह अप्रै, 20 तक प्रतिमाह की दर से अभिदा रु० 24,1062/-
- (३) माह अप्रै से माह अप्रै तक प्रतिमाह रु० 500/-
- (४) मद (१), (२) तथा (३) का योग रु० 25,96,712/-
- (५) बाद में स्वीकृत अंतिम निष्कासन, यदि कोई हो रु०
- (६) स्वीकृत प्रदान करने की तिथि को अवशेष मद:
- (४) में से मद (५) घटाइये रु०
- (क) वर्ष 2019-20 की लेखा-पर्ची के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा श्री/श्रीमती/कुमारी सत्यानन्द उपाध्याय को पिछली बार आदेश संख्या ... दिनांक ... द्वारा रु० का कोई अंतिम निष्कासन स्वीकार नहीं किया गया था।
- (ख) ज्ञात हुआ है कि श्री सत्यानन्द उपाध्याय को (जैसा कि उन्होंने बताया) ... (स्वीकृत कर्ता) द्वारा पिछली बार अंशतः अंतिम निष्कासन के रूप में रु० की स्वीकृत प्रदान की गई थी।

दिनांक.....

सक्षम अधिकारी,
न्यायाधीश,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।